मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ. 11 (60)/98/1-10 भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 1998

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.—लोकायुक्त संगठन में जांच के चलते प्रशासनिक विभाग द्वारा प्रकरणों को समाप्त न किये जाने के संबंध में.

लोकायुक्त संगठन द्वारा विभागों को प्रकरण या तो प्रारंभिक जांच करने के लिए भेजे जाते हैं या संगठन की जांच परीक्षण के आधार पर मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 (1) के अंतर्गत कार्यवाही के लिए भेजे जाते हैं. जो प्रकरण प्रारंभिक जांच के लिए भेजे जाते हैं उनमें जांच प्रतिवेदन लोकायुक्त संगठन को भेजा जाना चाहिए और उनके परामर्श के अनुसार आगामी कार्यवाही की जानी चाहिए. ऐसे कुछ प्रकरण शासन के ध्यान में आये हैं, जिनमें विभागों द्वारा की गई जांच के बाद बिना लोकायुक्त संगठन को प्रतिवेदन भेजे एवं उनसे परामर्श लिये प्रकरण अपने स्तर पर ही समाप्त कर दिये. यह प्रणाली उचित नहीं है. भविष्य में यह ध्यान रखा जावे कि लोकायुक्त संगठन से प्रारंभिक जांच के लिए प्राप्त प्रकरणों में जांच प्रतिवेदन संगठन को भेजा जाये और उनके परामर्श के आधार पर आगामी कार्यवाही की जाये.

हस्ता./-
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृष्ठांकन क्रमांक एफ. 11 (60)/98/1-10. भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 1998

प्रतिलिपि :

विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, लोकायुक्त संगठन, भोपल की ओर उनके पत्र क्रमांक 8196, दिनांक 2-3-98 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित.

हस्ता./-
(ए. व्ही. ग्वालियरकर)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.
फोन नं. 551364